HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1151/2026

1. Sharafat Ali S/o Late Khuda Baksh, Aged About 27 Years, R/o Bada Bera Ki Dhani, Bbayacha Ps Gegal Distt. Ajmer At Present Bandhi, Central Jail Ajmer.
2. Rajak Mohammad S/o Abdul Karim, Aged About 25 Years, R/o Jod Mohalla, Bbayacha Ps Gegal Distt. Ajmer At Present Bandhi, Central Jail Ajmer
3. Rashid Patel S/o Badruddin, Aged About 27 Years, R/o Patel Mohall, Bbayacha Ps Gegal Distt. Ajmer At Present Bandhi, Central Jail Ajmer

----Appellants

Versus

1. State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.
2. Suresh Chand S/o Bhiyaram, Aged About 40 Years, R/o Jaroda Khurd, Police Station Medata Road, Distt. Nagaur (Raj.)

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1170/2026

1. Ikram S/o Fakir Khan, Aged About 34 Years, R/o Near Masjid, Babaicha, Police Station Gegal, District Ajmer. (At Present The Accused Appellant is Confined in Central Jail Ajmer)
2. Abdul Aziz Gauri S/o Nawab, Aged About 32 Years, R/o Jhod Mohalla, Babaicha, Police Station Gegal, District Ajmer. (At Present The Accused Appellant is Confined in Central Jail Ajmer)
3. Babu Mohammad S/o Manwar Khan, Aged About 40 Years, R/o Aasamo Ki Dhani, Bada Bera, Babaicha, Police Station Gegal, District Ajmer. (At Present The Accused Appellant is Confined in Central Jail Ajmer)

----Appellants

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Suresh Chand S/o Shri Bhiyaram, Aged About 40 Years, R/o Jaroda Khurd, Police Station Medta Road, District Nagaur (Raj.)

----Respondents

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1171/2026

Hakim Mohammad S/o Manwar Khan, R/o Aasama Ki Dhani, Bada Bera Babaicha, Police Station Gegal, District Ajmer. (At Present in Central Jail, Ajmer)

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Suresh Chand S/o Shri Bhiyaram, Aged About 40 Years, R/o Jaroda Khurd, Police Station Medta Road, District Nagaur (Raj.)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Fahad Hasan, Adv. Mr. Abdul Wahid Naqvi, Adv. Mr. Shyam Bihari Gautam, Adv. Mr. Susheel Pujari, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Anand Singh Rajawat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

08/06/2026

अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 14–ए(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उक्त पृथक–पृथक जमानत अपीलें विचारण न्यायालय, विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित

जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), अजमेर द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 441/2026, 591/2026 व 198/2026 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 18.05.2026, 19.05.2026 व 05.03.2026 से व्यथित होकर पेश की गई हैं, जिनके तहत पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 324(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम में अपीलार्थी–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किये गये हैं।

अपीलार्थी–अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। सहअभियुक्त इमरान ने लुणाराम के बेसबॉल बल्ले से सिर पर प्राणघातक चोट पहुंचाई। अपीलार्थी–अभियुक्तगण ने लुणाराम के कोई प्राणघातक चोट कारित की हो, यह स्पष्ट नहीं है। अपीलार्थी–अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। सहअभियुक्तगण बादशाह, फिरोज, सेठ मोहम्मद उर्फ सेठू, सराज उर्फ सिराज, मजीद खान व अहसान मोहम्मद की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यह सही है कि प्रकरण में मुख्य अभियुक्त इमरान है, उसने ही आहत लुणाराम के सिर पर प्राणघातक चोट कारित की है। परंतु

अपीलार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी–अभियुक्तगण की जमानत खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी–अभियुक्तगण दिनांक 26.01.2026 से अभिरक्षा में है, उनके द्वारा आहत के शरीर पर प्राणघातक चोट कारित की गयी हो, यह स्पष्ट नहीं है। सहअभियुक्तगण बादशाह व फिरोज की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 1020/2026, सेठ मोहम्मद उर्फ सेठू की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 653/2026, सराज उर्फ सिराज व मजीद खान की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 654/2026 व अहसान मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 961/2026 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से उनकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अपीलार्थी–अभियुक्तगण का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्तगण **1. शराफत अली पुत्र स्व. खुदाबक्श 2. रज्जाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल करीम 3. रसीद पटेल पुत्र बदरूदीन 4. ईकराम पुत्र फकीर खां 5. अब्दुल अजीज गौरी पुत्र नवाब 6. बाबू मोहम्मद पुत्र मनवर खां 7. हाकिम मोहम्मद पुत्र मनवर खां** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत अपीलें स्वीकार की जाती हैं और विचारण न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र

संख्या 441/2026, 591/2026 व 198/2026 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 18.05.2026, 19.05.2026 व 05.03.2026 अपास्त किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

MANISH SAINI/200-202